अति तत्काल
आर टी आई मामला

सं. 14036/451/2013-यू टी पी
भारत सरकार
गृह मंत्रालय

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
दिनांक 24 जुलाई, 2013

सेवा में

श्री सुरेन्द्र पुत्र श्री डाले राम
निवासी मकान संख्या 541, दरियापुर कलां
दिल्ली-110039

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आपका दिनांक रहित आवेदन।

महोदय,

मुझे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आपके उपर्युक्त आर टी आई आवेदन (इस अनुभाग में 19.06.2013 को प्राप्त) का उल्लेख करने का निदेश हुआ है।

2. इस संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा मांगी गई सूचना इस लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध नहीं है। तथापि, चूंकि आपके आर टी आई आवेदन की विषय-वस्तु दिल्ली पुलिस से संबंधित है, अतः, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत अपेक्षित सूचना सीधे आवेदक को उपलब्ध कराने हेतु आपका आवेदन दिल्ली पुलिस को अंतरित किया जा रहा है। ।

3. इस उत्तर के संबंध में गृह मंत्रालय में अपील प्राधिकारी का नाम एवं पदनाम श्री के.के. पाठक, संयुक्त सचिव (यू टी), गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली है।

Issued with encl.
1820
19/7.

भवदीया,

एस. सुधा

(एस. सुधा)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
एवं अवर सचिव (डी पी-II)
दूरभाष: 23092856

प्रतिलिपि:

1. पुलिस उपायुक्त, लोक सूचना अधिकारी, पुलिस मुख्यालय, आई.पी इस्टेट, नई दिल्ली- अपेक्षित सूचना आवेदक को सीधे उपलब्ध कराने के अनुरोध के साथ आर टी आई आवेदन की एक प्रति संलग्न है। ~~आवेदक ने अपेक्षित शुल्क इस मंत्रालय में जमा करा दिया है।~~